रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 856] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2003/भाद्र 27, 1925
No. 856] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2003/BHADRA 27, 1925

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2003

का.आ. 1075(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 35 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किराया नियतन समिति (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अभिप्रेत है;

(ख) "समिति" से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन गठित किराया नियतन समिति अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा नामनिर्देशित समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. **वेतन और भत्ते**—(1) अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं :

परन्तु अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है और जिसने पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अभिदान या सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त कर रहा है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है, उसके वेतन में से पेंशन की सकल रकम या अभिदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अभिदान या सेवानिवृत्ति के अन्य फायदे के रूप में, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा प्राप्त की गई है या प्राप्त की जाने वाली है के समतुल्य पेंशन की रकम घटा दी जाएगी।

(2) कोई सदस्य ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव को अनुज्ञेय हैं :

परन्तु किसी सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति के नामनिर्देशन की दशा में, जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के अधीन सेवानिवृत्त हुआ है और जिसने पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अभिदान या सेवानिवृत्ति फायदों के किसी अन्य रूप में कोई सेवानिवृत्ति फायदा प्राप्त करता है या प्राप्त कर रहा है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है, उसके वेतन में से पेंशन की सकल रकम या अभिदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अभिदान या सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य फायदे के रूप में समतुल्य पेंशन की रकम, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा प्राप्त की गई है या प्राप्त की जाने वाली है, घटा दी जाएगी।

4. **आवास**—(1) अध्यक्ष, किसी उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय निबंधनों पर निवासीय आवास का हकदार होगा।

(2) कोई सदस्य, भारत सरकार के किसी अपर सचिव को अनुज्ञेय निबंधनों पर निवासीय आवास का हकदार होगा।

(3) जहां, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है या उसने स्वयं नहीं लिया है, उसे प्रतिमास मूल वेतन के तीस प्रतिशत की दर पर गृह किराया भत्ता संदत्त किया जाएगा :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की दशा में, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्ति हुआ है या कोई सदस्य जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार से सेवानिवृत्त हुआ है उसे प्रतिमास उसके द्वारा लिए गए अंतिम मूल वेतन के तीस प्रतिशत की दर पर गृह किराया भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(4) यदि, सरकार द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट निवासीय आवास उपलब्ध नहीं कराया है तो मेट्रो रेल प्रशासन, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य को ऐसा आवास उपलब्ध कराएगा।

5. **चिकित्सीय उपचार के लिए सुविधाएं.**—(1) अध्यक्ष, ऐसे चिकित्सीय उपचार और अस्पताल सुविधाओं के लिए हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में उपबंधित हैं।

(2) सदस्य, ऐसी स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन समतुल्य वेतन वाले अधिकारियों को लागू होती हैं।

6. **सेवा शर्तें आदि.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष को उपलब्ध सेवा शर्तें और अन्य सुविधाएं वे होंगी, जो उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीशों को लागू होती हैं।

7. **कार्यालय आवास और अन्य सुविधाएं.**—मेट्रो रेल प्रशासन, अध्यक्ष और सदस्यों को अधिनियम के अधीन उनके कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक कार्यालय आवास, कर्मचारिवृन्द, सवारी और अन्य सुविधाएं तथा सहायता उपलब्ध कराएगा।

8. **अवशिष्ट उपबंध.**—यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित ऐसे विषय, जिनके संबंध में इन नियमों में स्पष्ट उपबंध नहीं किए गए हैं, प्रत्येक दशा में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार का उन पर विनिश्चय यथास्थिति, उक्त अध्यक्ष या सदस्यों पर आबद्धकर होगा।

9. **शिथिल करने की शक्ति.**—केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, इन नियमों में से किसी के उपबंधों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग के संबंध में शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. के-14011/14/2003-एमआरटीएस]

न. वेणुगोपालन, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2003

S.O. 1075 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 100, read with Sub-section (1) of Section 35 of the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Fare Fixation Committee (Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of the Chairperson and Members) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);

(b) "Committee" means the Fare Fixation Committee constituted by the Central Government under Sub-section (1) of Section 34 of the Act;

(c) " Chairperson" means the Chairperson of the Committee appointed under Sub-section (3) of Section 34 of the Act;

(d) "Member" means a Member of the Committee nominated by the Central Government or, as the case may be, the Government of National Capital Territory of Delhi under Sub-section (4) of Section 34 of the Act;

(e) words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Salaries and allowances.— (1) The Chairpersons shall be entitled to such pay and allowances as are admissible to a Judge of a High Court :

Provided that in case of appointment of a person as Chairperson, who has retired as a Judge of a High Court and who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits, by way of pension, gratuity, employer's contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of employer's contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

(2) A Member shall be entitled to such pay and allowances as are admissible to an Additional Secretary to the Government of India:

Provided that in case of nomination of a person as a Member, who has retired from service under the Central Government or, as the case may be, the Government of National Capital Territory of Delhi and who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits, by way of pension, gratuity, employer's contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of employer's contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Accommodation.— (1) The Chairperson shall be entitled to residential accommodation on terms as admissible to a serving Judge of a High Court.

(2) A Member shall be entitled to residential accommodation on terms as admissible to an Additional Secretary to the Government of India.

(3) Where the Chairperson or, as the case may be, the Member is not provided with, or does not avail himself of the accommodation referred to in sub-rules (1) and (2), he may be paid, every month, house rent allowance at the rate of thirty per cent, of his basic pay :

Provided that in case of appointment of a person as Chairperson, who has retired as a Judge of a High Court, or, as Member, who has retired from service under the Central Government or the Government of National Capital Territory of Delhi, he may be paid, every month, house rent allowance at the rate of thirty per cent of his last basic pay drawn.

(4) The metro railway administration shall, if the Chairperson or, as the case may be, the Member has not been provided residential accommodation as referred to in sub-rules (1) and (2) by the Government, provide such accommodation to the Chairperson or, as the case may be, the Member.

5. Facilities for medical treatment.—(1) The Chairperson shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme.

(2) A Member shall be entitled to avail of the health service facilities applicable to the officers of equivalent pay scale under the Central Government.

6. Conditions of service, etc.—Notwithstanding anything contained in these rules, the conditions of service of and other facilities available to the Chairperson shall be the same as are admissible to a serving Judge of a High Court.

7. Office accommodation and other facilities.— The metro railway administration shall provide necessary office accommodation, staff, conveyance and other facilities and assistance to the Chairperson and Members for the discharge of their duties under the Act.

8. Residual provision.—Matters relating to the conditions of service of the Chairperson or, as the case may be, Members with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the said Chairperson or, as the case may be, Member.

9. Power to relax.— The Central Government may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the provisions of any of these rules, in respect of any class or categories of persons.

[F. No. K-14011/14/2003-MRTS]

N. VENUGOPALAN, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.